20/9/024 27-10-24

24/09/2024 प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र पत्रावली सुनवाई तलब करने हेतु पेश किया और निवेदन किया कि लोकअदालत की भावना से प्रार्थीगण [illegible] पर अन्तरिम T.I. निस्तारित करवाना [illegible] प्रार्थना-पत्र पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर आज ही पत्रावली को नंबर पर लिया गया।

प्रार्थीगण संख्या 01, 05, 06, 07 क्रमशः श्रीमती कैलीदेवी पत्नि बाबूलाल, भागाराम/केशाराम,

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested

अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

मांगीलाल, हंजारीमल पिता रामाराम ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 अन्तर्गत O23 R01 CPC के अधीन प्रस्तुत कर प्रकरण अनवान की बाबत अस्थायी व्यादेश कार्यवाही प्रत्याहित करने का निवेदन करते हुए लोकअदालत की भावना से स्वैच्छा से राजीनामा हो जाने के कारण TI अनवान की कार्यवाही को आगे चलाना नही चाहते है। इससे पूर्व प्रार्थी संख्या 02 से 04 ने अपनी सीमा के अस्थाई व्यादेश वेकेट करवा चुके है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध मे जारी अन्तरिम व्यादेश दिनांक 14/07/2015 को वेकेट फरमावे। जिस पर वकील (अधिवक्ता) प्रार्थी संख्या 01, 05, 06, 07 को सुना गया। उक्त प्रार्थी संख्या की पहचान की गई। अतः न्यायहित मे उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में सम्बन्धित विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तरिम व्यादेश दिनांक 14/07/15 को वेकेट किया जाता है। प्रार्थी संख्या 01 से 07 तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम व्यादेश दिनांक 14/07/15 को वेकेट करवा चुके है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी सं. 01, 5, 6, 7 के मद्देनजर एवं न्यायहित मे विड्रा की अनुमति दी जाती है। पत्रावली श्रृंगार होकर नथी हो कर दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

RTL
श्रीमति कैलादेवी

आसाराम

मांगीलाल
हंजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.05.30 17:28:59 IST
Reason: SelfAttested